राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग

क्रमांक–एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/ दिनांक– 09.03.2016

परिपत्र–17

भामाशाह योजना के माध्यम से विभिन्न विभागों के नकद व गैर–नकद लाभ हस्तांतरण करने हेतु विभागीय डेटाबेस व एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भामाशाह सॉफ्टवेयर से एकरूप (Integrate) किया जा रहा है। परिपत्र 11 के बिन्दु संख्या 6.1 में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि लाभार्थी की पहचान एवं पात्रता भामाशाह डेटा हब से सुनिश्चित कर विभागीय एप्लीकेशन में सीडिंग के माध्यम से जोड़ी जानी है।

भामाशाह डेटाबेस को प्राथमिक/मूल डेटाबेस बनाने के लिए डेटा को सतत् रूप से अद्यतन (Update) करना आवश्यक है। साथ ही, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के डेटाबेस में अद्यतन का कार्य संबंधित लाभार्थी के भामाशाह डेटा में अद्यतन कर ही किया जाना चाहिए। भामाशाह डेटाबेस में अद्यतन/संशोधन (Update/Edit) करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है–

1. भामाशाह योजना के लाभार्थियों के डेटा/सूचना में किसी भी तरह का अद्यतन ऑनलाइन अथवा ई–मित्र द्वारा किया जा सकता है।
2. भामाशाह कार्ड धारक द्वारा निम्नांकित कारणों से भामाशाह डेटा में परिवर्तन स्वप्रमाणन (बिना किसी दस्तावेज के) से किया जा सकता है–
   - 2.1. मोबाइल नम्बर जोड़ने/परिवर्तन करने के लिए।
   - 2.2. परिवार के सदस्यों से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी (जैसे मुखिया से सम्बन्ध, आयु, लिंग, पिता /माता का नाम, वैवाहिक स्थिति, पति/पत्नी का नाम, व्यवसाय, शिक्षा का स्तर, निवासी की श्रेणी इत्यादि) को अपडेट करने के लिए।
3. भामाशाह कार्ड धारक द्वारा निम्न भामाशाह डेटा में अद्यतन सहयोगी दस्तावेज की स्कैन्ड कॉपी अपलोड कर किया जा सकता है–
   - 3.1 नाम, 3.2 निवास का पता 3.3 बैंक खाते का विवरण 3.4 आधार संख्या
   - 3.5 व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक लाभ की योजनाओं की पात्रता संबंधित जानकारी (जैसे वार्षिक आय, राशन कार्ड, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), पी.पी.ओ., नरेगा जॉब कार्ड, बीपीएल, विशिष्ट योग्य जन पात्रता इत्यादि)।
4. यदि भामाशाह परिवार के डेटा में कोई भी मोबाइल नम्बर पंजीकृत नहीं है तो प्रथम बार मोबाइल पंजीकृत करने के लिए अपने मोबाइल से 9223166166 या 51969 या 166 पर RJ<space>BHAMA<space>M<space>BHAMAID or BHAMAACKID<space>10-digit mobile number लिखकर SMS करने से उस मोबाइल नम्बर को परिवार के डेटा में पंजीकृत करवा सकते है। एक मोबाइल नम्बर को केवल एक ही परिवार के भामाशाह डेटा में जोड़ा जा सकता है।

किसी भी विभाग द्वारा अपनी विभागीय योजना के डेटाबेस में लाभार्थी के संबंध में सूचनाओं में किसी प्रकार के संशोधन/अद्यतन की कार्यवाही सीधे विभागीय डेटाबेस स्तर पर नहीं की जाएगी। किसी भी लाभार्थी द्वारा अपनी सूचनाओं में संशोधन/अद्यतन का आवेदन करने पर उसे भामाशाह डेटा हब में सूचना अद्यतन करने हेतु निर्देशित किया जाएगा। भविष्य में किसी भी योजना में नवीन लाभार्थी से संबंधित डेटा का सृजन भामाशाह डेटाबेस से ही होगा।

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव, आयोजना

क्रमांक–एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/ दिनांक– 09.03.2016

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. वरि. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव......................को प्रेषित कर निवेदन है कि इस परिपत्र अनुसार कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान करावें।
4. समस्त विभागाध्यक्ष.................................. को जिला/ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान करने हेतु प्रेषित है।
5. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
7. एसीपी (उपनिदेशक), सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, समस्त जिला.............
8. उप/सहायक निदेशक, आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग, समस्त जिला.............

(ओम प्रकाश बैरवा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग